

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून  
 वनादेश सं० 56 / 1-13(13) H.R.D. देहरादून दिनांक, 20 जनवरी, 2022

पदोन्नति / तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188 / 1-12 (H.R.D.) दिनांक 28-07-2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09-08-2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित प्रधान सहायक (वेतनमान 35,400-1,12,400 लेवल 6) की प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 44,900-1,42,400 लेवल 7) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्री सतेन्द्र सिंह रावत	प्र०व० तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर
2	श्री राम सिंह बोरा	प्र०व० तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर
3	श्रीमती तारा देवी	मु०व०सं० उपयोग, गैर प्रकाष्ठ वन उपज एवं आजीविका, देहरादून

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 अनुसार भी अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है और कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत अपने तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देंगे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, अपने अधिनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो चुनाव आचार संहिता के पश्चात अलग से तैनाती आदेश करेंगे।

4. कर्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कर्मचारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(विनोद कुमार)  
 प्रमुख वन संरक्षक  
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं० 174 / (1) / 1-13(13) H.R.D. तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

174C  
 वेबसाईट पर अपलोड कर  
 20/1/22

Bawal

(विनोद कुमार)  
 प्रमुख वन संरक्षक  
 उत्तराखण्ड, देहरादून